

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

(फरवरी-अप्रैल, 2011 सत्र)

(21 फरवरी, 2011 से 8 अप्रैल, 2011 तक)

प्रश्नोत्तरों के लिये विभागों के वर्ग, प्रत्येक विभाग के लिए प्रभारी मंत्री, उत्तर के लिए निश्चित दिनांक तथा उस दिनांक के लिए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने का अन्तिम दिनांक दर्शाने वाला विवरण

विभाग	प्रभारी मंत्री	उत्तरों के लिए निश्चित दिनांक	प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने का अन्तिम दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)

वर्ग-1

वित्त	वित्त मंत्री		
योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	वित्त मंत्री		
वाणिज्यिक कर	वित्त मंत्री	22 फरवरी, 2011	- 14 फरवरी, 2011
सामाजिक न्याय	सामाजिक न्याय मंत्री	01 मार्च, 2011	- 21 फरवरी, 2011
पंचायत और ग्रामीण विकास	सामाजिक न्याय मंत्री	09 मार्च, 2011	- 01 मार्च, 2011
परिवहन	परिवहन मंत्री	16 मार्च, 2011	- 08 मार्च, 2011
जेल	परिवहन मंत्री	30 मार्च, 2011	- 22 मार्च, 2011
श्रम	श्रम मंत्री	08 अप्रैल, 2011	- 30 मार्च, 2011
गृह	गृह मंत्री		

वर्ग-2

(1)	(2)	(3)	(4)
सामान्य प्रशासन	मुख्यमंत्री		
नर्मदा घाटी विकास	मुख्यमंत्री		
विमानन	मुख्यमंत्री		
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	मुख्यमंत्री		
आयुष	मुख्यमंत्री	23 फरवरी, 2011	- 15 फरवरी, 2011
चिकित्सा शिक्षा	मुख्यमंत्री	03 मार्च, 2011	- 23 फरवरी, 2011
जन शिकायत निवारण	मुख्यमंत्री	10 मार्च, 2011	- 05 मार्च, 2011
जैव विविधता तथा जैव प्रौद्योगिकी	मुख्यमंत्री	17 मार्च, 2011	- 09 मार्च, 2011
जल संसाधन	जल संसाधन मंत्री	31 मार्च, 2011	- 23 मार्च, 2011
आवास और पर्यावरण (आवास को छोड़कर)	जल संसाधन मंत्री		
वन	वन मंत्री		
संसदीय कार्य	संसदीय कार्य मंत्री		
विधि और विधायी कार्य	संसदीय कार्य मंत्री		
आवास और पर्यावरण (पर्यावरण को छोड़कर)	संसदीय कार्य मंत्री		

वर्ग-3

तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण	तकनीकी शिक्षा मंत्री		
उच्च शिक्षा	तकनीकी शिक्षा मंत्री		
संस्कृति	तकनीकी शिक्षा मंत्री		
जनसंपर्क	तकनीकी शिक्षा मंत्री	24 फरवरी, 2011	- 17 फरवरी, 2011
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	तकनीकी शिक्षा मंत्री	04 मार्च, 2011	- 26 फरवरी, 2011
किसान कल्याण तथा कृषि विकास	किसान कल्याण मंत्री	11 मार्च, 2011	- 05 मार्च, 2011
राजस्व	राजस्व मंत्री	18 मार्च, 2011	- 10 मार्च, 2011
पुनर्वास	राजस्व मंत्री	01 अप्रैल, 2011	- 26 मार्च, 2011
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	राज्यमंत्री, खाद्य		
महिला एवं बाल विकास	राज्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास		
लोक सेवा प्रबन्धन	राज्यमंत्री, लोक सेवा प्रबन्धन		

वर्ग-4

(1)	(2)	(3)	(4)
नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास वाणिज्य, उद्योग और रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी विज्ञान और टेक्नालॉजी सार्वजनिक उपक्रम उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण कुटीर एवं ग्रामोद्योग लोक निर्माण पर्यटन खेल और युवा कल्याण	नगरीय प्रशासन मंत्री नगरीय प्रशासन मंत्री उद्योग मंत्री उद्योग मंत्री उद्योग मंत्री उद्योग मंत्री उद्योग मंत्री लोक निर्माण मंत्री पर्यटन मंत्री पर्यटन मंत्री		25 फरवरी, 2011 - 17 फरवरी, 2011 07 मार्च, 2011 - 28 फरवरी, 2011 14 मार्च, 2011 - 07 मार्च, 2011 28 मार्च, 2011 - 21 मार्च, 2011 06 अप्रैल, 2011 - 29 मार्च, 2011

वर्ग-5

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सहकारिता आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण पशुपालन मछलीपालन पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा स्कूल शिक्षा ऊर्जा खनिज साधन	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री आदिम जाति कल्याण मंत्री पशुपालन मंत्री पशुपालन मंत्री पशुपालन मंत्री पशुपालन मंत्री स्कूल शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री, ऊर्जा राज्य मंत्री, ऊर्जा		28 फरवरी, 2011 - 21 फरवरी, 2011 08 मार्च, 2011 - 01 मार्च, 2011 15 मार्च, 2011 - 07 मार्च, 2011 29 मार्च, 2011 - 21 मार्च, 2011 07 अप्रैल, 2011 - 30 मार्च, 2011
--	--	--	--

भोपाल :
दिनांक : 13 जनवरी, 2011

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

- नोट.-**
1. विवरण के स्तम्भ (3) व (4) में उल्लिखित दिनांक स्तम्भ (1) में दिये गये विभागों के सम्पूर्ण वर्ग को लागू होगी.
 2. प्रश्नों के उत्तर उपर्युक्त प्रारूप में ही भेजे.
 3. प्रश्नों के उत्तर भेजने की अंतिम तिथि का कॉलम उपर्युक्त प्रश्नोत्तर के प्रारूप में दर्शित नहीं है, अतः इस विवरण के स्तम्भ-4 में दर्शाई गई उत्तर भेजने की अंतिम अनुसार ही कार्यालय समय में उत्तर अनिवार्यतः भेजे जावें.
 4. निर्धारित दिनांक तक जिन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त नहीं होंगे ऐसे प्रश्नों को टीप : **“मंत्री महोदय की ओर से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ”** के साथ प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित करा दिया जायेगा.
 5. प्रश्नों के उत्तर तीन प्रतियों में तथा यदि संलग्न परिशिष्ट तीन पृष्ठों से अधिक का हो तो पाँच प्रतियों में सक्षम अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित कर भेजे जावें.
 6. किसी प्रश्न के संबंध में स्पष्टीकरण/परिवर्तन/पुनर्विचार अथवा अन्य विभागों को हस्तांतरण अपरिहार्य हो तो ऐसे अनुरोध प्रश्न प्राप्ति के 3 दिन के अन्दर भेजे जाने चाहिए, उत्तर भेजने की अंतिम तिथि में ऐसे अनुरोध विचार योग्य नहीं होंगे.

प्र-1 अ (613)/2011

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी, 2011

प्रतिलिपि :-

- (1) मुख्यमंत्री,
- (2) समस्त मंत्री, राज्य मंत्री,
- (3) मुख्य सचिव,
- (4) समस्त प्रमुख सचिव, तथा
- (5) शासन के समस्त विभागों,

को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.